

सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 31)

[25 अगस्त, 2000]

सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन)
अधिनियम, 1950 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- | | |
|---|---------------------|
| 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) संशोधन अधिनियम, 2000 है । | संक्षिप्त नाम । |
| 2. सेना और वायुसेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में, "महाप्रशासक अधिनियम, 1913" शब्दों और अंकों के स्थान पर "महाप्रशासक अधिनियम, 1963" शब्द और अंक रखे जाएंगे । | धारा 7 का संशोधन । |
| 3. मूल अधिनियम की धारा 10 में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्द रखे जाएंगे । | धारा 10 का संशोधन । |
| 4. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987" शब्द और अंक रखे जाएंगे । | धारा 14 का संशोधन । |